



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 12, 2016/पौष 22, 1937

No. 86]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 12, 2016/ PAUSA 22, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2016

सं. 30/2015-2020

विषय:— आईटीसी (एचएस) 2012-अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 08 के एक्जिम कोड 08081000 के तहत सेबों की आयात नीति शर्तों में संशोधन।

का.आ. 100(अ).—समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस) 2012-अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 08 के एक्जिम कोड 08081000 के तहत सेबों की आयात नीति की शर्तों में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

एक्जिम कोड	मद विवरण	नीति	नीति शर्तें	संशोधित नीति शर्तें
08081000	सेब	मुक्त	केवल न्हावा शेवा पत्तन से आयात	(i) कोलकाता, चेन्नई, मुम्बई, कोचीन में समुद्री पत्तन और हवाई पत्तन दोनों से आयात और दिल्ली में भूमि पत्तन और हवाई पत्तन से (ii) भारत की भू सीमाओं से भी सेबों का आयात अनुमत है।

3. इस अधिसूचना का प्रभाव:

एक्जिम कोड 08081000 के तहत शामिल मद "सेबों" का आयात कोलकाता, चेन्नई, मुम्बई और कोचीन में समुद्री पत्तन और हवाई पत्तन से और दिल्ली में भूमि पत्तन और हवाई पत्तन से अनुमत है। भारत की भू सीमाओं से भी सेबों का आयात अनुमत है।

अनूप वधावन, महानिदेशक, विदेश व्यापार

[फा. सं. 01/89/180/0079/एएम99/पीसी-2(ए)]

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(Directorate General of Foreign Trade)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th January, 2016

No. 30/2015-2020**Subject: Amendment in import policy conditions of apples under Exim code 0808 10 00 of Chapter 08 of ITC (HS), 2012–Schedule–1 (Import Policy).**

S.O. 100(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the Import Policy Conditions of apples under Exim code 0808 10 00 of Chapter 08 of ITC (HS), 2012 – Schedule–1 (Import Policy) as under:

Exim Code	Item Description	Policy	Policy Condition	Revised Policy Condition
0808 10 00	Apples	Free	Import only through Nhava Sheva Port.	(i) Import through both sea ports and airports in Kolkata, Chennai, Mumbai & Cochin; and land port & airport in Delhi. (ii) Import of apples is also allowed through India's land borders.

2. Effect of this Notification: Import of the item 'Apples' covered under EXIM Code 08081000 is allowed through sea ports & airports in Kolkata, Chennai, Mumbai & Cochin; and land port & airport in Delhi. Import of apples is also allowed through India's land borders.

[F. No.01/89/180/0079/AM-99/PC-2 (A)]

ANUP WADHAWAN, Director General of Foreign Trade